## शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना का आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 19 अगस्त, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थेः–

1. श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
2. श्री शैलेश बगोली, सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. डॉ0 वी0 षणमुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री विनोद कुमार सुमन, सचिव (प्रभारी), शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री हरि ओम शर्मा, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. श्री डी0डी0 डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– पिथौरागढ नगर की कूडा निस्तारण एवं प्रबन्धन की वर्तमान में समुचित व्यवस्था नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अन्तर्गत नगर पालिका पिथौरागढ की सीमा के अन्तर्गत प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली घरेलू एवं व्यवसाय कूडे के समुचित निस्तारण एवं प्रबन्धन की आवश्यकता के सन्दर्भ में प्रस्तावित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना गठित की गयी है।
2. **भूमि की उपलब्धता** :– अवगत कराया गया है कि कूडा निस्तारण एवं प्रबन्धन हेतु शहर से 7 कि0मी0 दूर विपुल गांव की 0.75 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गयी है।
3. **योजना प्राविधान** :– योजना में निम्नलिखित प्राविधानित किये गये है :–

- Compost Shed 25 x 10 m
- Boundary wall 160m
- Gate
- Security Room 3 x 3m
- Toilet
- Septic Tank
- Tipping Shed 15 x 10 m
- Compost Pad 20 m x 10m
- Storm Water Drain 380m
- Fencing 250m
- Green Belt
- Road 160m
- RR Wall 4m Height 60m
- RR Wall 1.5 m Height 120m
- RCC wall 6m height 80 m processing site
- Sanitary landfill phase Ist
- Leachate holding tank
- RCC wall 6 m height 156m phase Ist

क्रमशः पृष्ठ–2/–

- Sanitary landfill phase IInd
- RCC wall 6m height 177m phase IInd
- Storage shed 6 x 4m

## 4. व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत :–

4.1 योजना के सम्बन्ध में विभागीय समिति की बैठक सचिव (प्रभारी), शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2021 में सम्पन्न हुई।

4.2 मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 15.12.2015 के अनुपालन में उक्त कूडे के प्रसंस्करण एवं निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है।

4.3 **बजट व्यवस्था** :– योजना का वित्त पोषण स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप के 35 प्रतिशत एवं शेष राज्यांश के रूप सरकार द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा नगर पालिका, पिथौरागढ़ की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना हेतु रू0 636.99 लाख लागत की स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत रू0 222.95 लाख एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से रू0 414.04 लाख प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है। अवशेष धनराशि रू0 192.46 लाख का व्यय भार स्थानीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जाना अवगत कराया गया है।

4.4 वर्तमान में प्रतिदिन औसत कूडा उत्पादन 20 टन आंकलित किया गया है जिसका निस्तारण 02 Pickup, 01 Tractor and 2 Dumper के माध्यम से किया जा रहा है।

4.5 योजना में शत–प्रतिशत कूडे का पृथ्थकीकरण का उद्देश्य है जिस हेतु 250 सामुदायिक कूडेदान, 05 संख्या एकत्रीकरण केन्द्र तथा 150 डिजाइनर कूडेदान रोड के किनारे रखे जायेगें।

4.6 योजना में घरेलू एवं व्यवासयिक क्षेत्रों से शत–प्रतिशत Door to Door एकत्रीकरण का लक्ष्य रखा गया।

4.7 140 सफाई कर्मचारियों के लिए पी0पी0 उपकरण दिये जाने प्रस्तावित है।

4.8 कूडा प्रसंस्करण एवं निस्तारण से पूर्व जितने क्षेत्रफल में कूडा फैला है उस क्षेत्र के विस्तृत पैमाइस उपरान्त कूड़े की वास्तविक मात्रा का आंकलन विभागीय स्तर पर करा लिया जाय एवं बचत के सम्बन्ध में नियोजन विभाग को अवगत कराया जाय।

4.9 नॉन शिडयूल मदों के क्रियान्वयन हेतु अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाय।

4.10 Waste Disposal Management Rules-2016 में उल्लिखित पर्यावरण सम्बन्धी मानकों का पालन किया जाय।

4.11 मा0 एन0जी0टी0 के मानकों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

**4.12** कूडे के Processing उपरान्त end product की वास्तविक उपलब्ध मात्रा के आधार पर ही भुगतान किया जाय।

**4.13** योजना क्रियान्वयन में कोई सामाजिक/पर्यावरणीय दुष्प्रभाव न हो, इस हेतु सभी Preventive measure लिये जाये तथा उनका शत–प्रतिशत अनुपालन स्थानीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

4.14 परियोजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमशः पृष्ठ–3/–

(धनराशि रू0 लाख में)

| S. No. | Item Description | DSR | NSI (Equipment) | SOR | NSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Source Segregation Storage | | 17.42 | | |
| 2 | Collection and Transportation of Waste | | 87.11 | | |
| 3 | Personnel Protection Equipment | | 113.42 | | |
| 4 | Materials and Machinery | | | | |
| 5 | Civil Work | | | | |
| 6 | Environmental Monitoring | 121.51 | | 426.95 | |
| 7 | Environmental Clearance (EIA) | | | | 63.04 |
| 8 | Decentralize segregation shade (30 x 15) feet | | | | |
| | **Sub Total** | **121.51** | **217.95** | **426.95** | **63.04** |
| | **Grand Total** | | | **829.45** | |

**परियोजना की कुल लागत :– रू0 829.45 लाख**

4.15 योजना में **रू0** 251.05 **लाख की** कटौती मात्राओं में भिन्नता, एस0ओ0आर0 की मदों को डी0एस0आर0 में त्रुटिपूर्ण प्राविधान एवं गणना में त्रुटि आदि के कारण की गयी है।

## 5. व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, चर्चा के उपरान्त मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित समय अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार–4.14 (Summary of Cost) **में अंकित लागत के सारांश में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि रू0 829.45 लाख** को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :–

5.1 मशीनों के चलित घण्टों को लाग बुक में अवश्य अंकन कराया जाय जिसका सत्यापन प्रतिदिन सक्षम अधिकारी के स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जाय।

5.2 उपकरण एवं मशीनरी तथा अन्य कार्यो हेतु पेट्रोल, डीजल के क्रय के सम्बन्ध में पेट्रोल पम्प की फ्यूल पम्प से प्राप्त Electronic पर्ची को लाग बुक में चस्पा करते हुए उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस तक सक्षम अधिकारी से सत्यापित कराया जाना अनिवार्य होगा।

5.3 योजना कार्यो पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.4 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के समस्त Design and Drawing विभागीय सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जाय।

5.5 आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0 /एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु बाजार की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

क्रमशः पृष्ठ–4/–

5.6 Waste Disposal Management Rules-2016 में उल्लिखित पर्यावरण सम्बन्धी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

5.7 मा0 एन0जी0टी0 के मानकों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

**5.8** कूडे के Processing उपरान्त end product की वास्तविक उपलब्ध मात्रा के आधार पर ही भुगतान किया जाय।

**5.9** योजना क्रियान्वयन में कोई सामाजिक/पर्यावरणीय दुष्प्रभाव न हो, इस हेतु सभी Preventive measure लिये जाये तथा उनका शत–प्रतिशत अनुपालन स्थानीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

5.10 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1–5.10 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों पर शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाय।

**उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।**

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

**( मनीषा पंवार )**
अपर मुख्य सचिव

**उत्तराखण्ड शासन,**
**राज्य योजना आयोग**
**(नियोजन विभाग)**
**संख्या 102/733/शहरी विकास/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/2021–22**
**देहरादूनः दिनांकः 27, अगस्त, 2021**

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

**(डॉ0 वी0 षणमुगम)**
सचिव (प्रभारी)